

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3377
दिनांक : 14.12.2021

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन भगवती कालेज ऑफ एजुकेशन, सिवाया रुडकी रोड, मेरठ को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 11.08.2021 के आलोक में भगवती कालेज ऑफ एजुकेशन, सिवाया रुडकी रोड, मेरठ को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, भगवती कालेज ऑफ एजुकेशन, सिवाया रुडकी रोड, मेरठ।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव
14/12/2021



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

सन्दर्भ संख्या: CHARANUNI/संब/ 1177 /2024

दिनांक: 03/07/2024

०९

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) व धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 03/07/2024) से BHAGWATI COLLEGE OF EDUCATION SIVAYA, ROORKEE ROAD, MEERUT को UC स्तर पर

Course Name	Subject Name
1 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	ECONOMICS
2 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	HISTORY
3 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	HOME SCIENCE
4 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	POLITICAL SCIENCE
5 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	SOCIOLOGY
6 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	HINDI
7 BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	ENGLISH

विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2024-2025 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1- शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2024-2025 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संबंधित पाठ्यक्रम विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (80 प्रतिशत उत्तीर्ण) हो। की स्थिति में सत्र 2024-25 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गम अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

3- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।

4- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/आदेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

7- संस्था द्वारा शरणादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

8- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

9- महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गित तालिमी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव कुलपति माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-....., उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Meerut मण्डल,
4. प्रबन्धक, BHAGWATI COLLEGE OF EDUCATION SIVAYA, ROORKEE ROAD, MEERUT को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, BHAGWATI COLLEGE OF EDUCATION SIVAYA, ROORKEE ROAD, MEERUT Meerut
6. कुलसचिव कार्यालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

03-11-2015
कुल सचिव